

23

83

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला-टीकमगढ़

निगरानी- 5755/2018/टी.म.ग.ग.द./अ.प्र. 1

हरपालसिंह पुत्र श्री रूपसिंह ठाकुर
निवासी- ग्राम वकपुरा तहसील व जिला -
टीकमगढ़ (म.प्र.)

व्यक्ति-वकपुरा
10.9.18

-- आवेदक

01.10.18

विरुद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़
(म.प्र.)

10-9-18

-- अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक
4/2015-16 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26.03.2018 के विरुद्ध
म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर
न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

10/9/18

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 513/2, 515, 516, 256 स्थित ग्राम
वकपुरा का विधिवत् पट्टा तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 11/अ-19
(4)/1985-86 में पारित आदेश दिनांक 18.03.1986 के द्वारा प्रक्रिया का
पालन करते हुये दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदान किया
जाना अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक के हित में आदेश पारित किया गया
था।

2 यहकि, राजस्व निरीक्षक समर्पा द्वारा नायब तहसीलदार समर्पा के माध्यम से
प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ की ओर इस आधार पर प्रेषित
किया कि भूमि सर्वे क्रमांक 513/2 रकवा 5.249 है0 रकवा 0.405 है0
टौरिया 4.844 है0 खाना क्रमांक 1 खसरा में 513/1, 513/2, 512/3
खसरा नं. 513 का बंटा नं. 1 पेसिल से भरा हुआ है जो कि शासकीय भूमि
के रूप दर्ज है वर्ष 1988-89 में खसरा के कॉलम नं. 2 मे सुधार कर 2.
297 उसके नीचे बंजर 2.415 टौरिया लिखा हुआ है। खसरा के खाना नं. 3
में सर्वे क्रमांक 513/1 रकवा 0.400 है0 नीली स्याही से हरपाल सिंह पुत्र



3

(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(3)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-5755/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

हरपालसिंहविरुद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-10-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक हरपालसिंह की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 4/2015-16 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-03-2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-09-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में कायमी पर निर्णय लिया जाना है ।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार -</p> <p>"1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"</p> <p>4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध म.प्र.</p>	

hys
29/11/18

1/2


2

भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है। अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागरको अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेजा जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।


(आर.के. जैन) x 118
सदस्य